न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर नावां

पीठासीन अधिकारी : श्री विश्वामित्र मीना, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः 150/2023

वादीगण –

1. चन्द्रप्रकाश पुत्र पूर्णमल
2. बनवारीलाल पुत्र पूर्णमल
3. राजेन्द्र पुत्र पूर्णमल
   जाति खाती(जांगिड) निवासीयान ग्राम आबास तहसील नावां।

बनाम

प्रतिवादी –

राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार नावां।

दावा बाबत रिकॉर्ड दुरूस्ती
अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.एक्ट

उपस्थित :– श्री सुरेन्द्र सेवर अधिवक्ता वादीगण
श्री सतीश कुमार तहसीलदार नावां

निर्णय

दिनांक :– 09.09.2023

वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि राजस्व ग्राम आबास तहसील नावां की सरहद में स्थित कृषि भूमि के नवीन खसरा नम्बर 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 196, 197 कुल रकबा 5.02 हैक्टर भूमि स्थित रही है। उक्त भूमि में वादी चन्द्रप्रकाश की 1687/50200 हिस्सा भूमि, वादी बनवारीलाल की 1687/50200 हिस्सा भूमि, वादी राजेन्द्र की 1687/50200 हिस्सा भूमि की खातेदारी राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज चली आ रही है। वादीगण ने वांछित नकुलात प्राप्त की तो ज्ञात हुआ कि वादीगण की जाति खाती(जांगिड) के स्थान पर राजस्व रिकॉर्ड में भूल व अज्ञानता वश गुर्जर इन्द्राज हो गई है। वादीगण की नकल जमाबंदी संवत 2072 से 2075 भली भांति साबित है कि वादीगण की जाति खाती है। नकल वाद पत्र के साथ पेश की। वादीगण की जाति खाती(जांगिड) के स्थान पर राजस्व रिकॉर्ड में गुर्जर दर्ज होने के कारण काफी परेशानियों का सामना करना पड रहा है। राजस्व ग्राम आबास तहसील नावां की सरहद में स्थित कृषि भूमि के नवीन खसरा नम्बर 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 196, 197 कुल रकबा 5.02 हैक्टर भूमि में वादी चन्द्रप्रकाश की 1687/50200 हिस्सा भूमि, वादी बनवारीलाल की 1687/50200 हिस्सा भूमि, वादी राजेन्द्र की 1687/50200 हिस्सा भूमि में जाति गुर्जर के स्थान पर खाती(जांगिड) करवाकर रिकॉर्ड दुरूस्ती करने की डिक्री जारी कर इस आशय की तहसील तहसीलदार नावां को जारी करने की इस्तदुआ की।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishwamitra Meena
Date: 2024.02.02 14:49:23 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नावां (डीडवाना-कुचामन)

वादीगण का वाद दर्ज किया जाकर प्रतिवादीग को जरिये सम्मन तलब किया गया। पत्रावली राष्ट्रीय लोक अदालत में पेश हुई। प्रतिवादी तहसीलदार नावां स्वयं उपस्थित होकर निवेदन किया कि उक्त वाद पत्र में वर्णित भूमि में वादीगण की जाति गुर्जर के स्थान पर खाती(जांगिड) किया जाना उचित है।

उभयपक्षकारान की बहस सुनी गई। पत्रावली एवं पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन किया गया।

उपरोक्त विवेचनानुसार वादी के वाद पत्र एवं प्रतिवादी तहसीलदार नावां के अनुसार राजस्व ग्राम आबास तहसील नावां की सरहद में स्थित कृषि भूमि के नवीन खसरा नम्बर 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 196, 197 कुल रकबा 5.02 हैक्टर भूमि में वादी चन्द्रप्रकाश की 1687/50200 हिस्सा भूमि, वादी बनवारीलाल की 1687/50200 हिस्सा भूमि, वादी राजेन्द्र की 1687/50200 हिस्सा भूमि में जाति गुर्जर के स्थान पर खाती(जांगिड) किया जाना उचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः वादीगण का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर इस प्रकार डिक्री किया जाता है कि राजस्व ग्राम आबास तहसील नावां की सरहद में स्थित कृषि भूमि के नवीन खसरा नम्बर 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 196, 197 कुल रकबा 5.02 हैक्टर भूमि में वादी चन्द्रप्रकाश, वादी बनवारीलाल, वादी राजेन्द्र की जाति गुर्जर के स्थान पर खाती(जांगिड) दुरूस्त कर घोषित की जाती है। तद्नुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करने हेतु तहसीलदार नावां को आदेश दिये जाते हैं। डिक्री पर्चा जारी हो।

यह निर्णय आज दिनांक 09.09.2023 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(विश्वामित्र मीना)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
नावां (डीडवाना-कुचामन)

उपखण्ड अधिकारी
नावां (डीडवाना-कुचामन)

Signature Not Verified

Digitally signed by Vishwamitra Meena
Date: 2024.02.02 14:49:23 IST
Reason: SelfAttested